न्यायालय– विशेष न्यायाधीश, ई०सी०एक्ट, बरेली।
उपस्थितः– अमृता शुक्ला, एच०जे०एस०,
J-O- Code-UP 6266

राज्य बनाम विजेन्द्र
विशेष वाद सं०–934/21
मु०अ०सं०–735/18
धारा– 138 विद्युत अधिनियम
थाना– ऑवला जिला बरेली।

निर्णय

दिनांकः–16.03.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त की ओर से कथन किया गया कि अभियुक्त पर विद्युत विभाग का कोई देय बकाया नहीं है। मामला शमनीय प्रकृति का है। अभियुक्त के द्वारा वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने की याचना की गई है।

2. मामले में विद्युत विभाग की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त पर विद्युत विभाग का जो देय था, वह पूर्ण रुप से जमा कर दिया गया। उक्त कथन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से होती है, जो विद्युत विभाग, बरेली द्वारा निर्गत किया गया है। मामला शमनीय प्रकृति का है। धारा 152–A विद्युत अधिनियम के तहत वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

3. सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। विद्युत विभाग की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता के अनुसार अभियुक्त पर विद्युत विभाग का कोई देय बकाया नहीं है। मामला शमनीय प्रकृति का है। अतः धारा 152–A विद्युत अधिनियम के तहत अभियुक्त के विरुद्ध लम्बित मामले की कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त विजेन्द्र के विरुद्ध लम्बित मामले की कार्यवाही धारा 152–A विद्युत अधिनियम के तहत समाप्त की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक अनुपालन दाखिल अभिलेखागार हो।

(अमृता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश, ई0सी0एक्ट,
बरेली

Digitally signed by AMRITA SHUKLA
Date: 2026.03.18 11:50:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court